झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

संःसं०–07 / पत्रकार –02–08 / 2019–ज०स०नि०.....509...../ राँची, दिनांक –16/09/19/

मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पत्रकारों के हितों, उनके कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रकार अत्यंत विषम परिस्थिति में अपने दायित्वों का निर्वह्न करते हैं। पत्रकारों की आकस्मिक दुर्घटना अथवा सामान्य मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति कई मामलों में अत्यंत विषम होने की जानकारी मिलती रहती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित होने पर सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की आर्थिक सुरक्षा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपये की आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अतः पत्रकारों को इस योजना के तहत् आच्छादित कराया जाना समीचीन है।

झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने और इस पर लगने वाले प्रीमियम का भुगतान सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किए जाने के लिए **"मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना"** का गठन किया जाता है।

2. वैसे पत्रकार जो झारखण्ड राज्य में पत्रकारिता के दायित्वों का निर्वह्न कर रहे हैं तथा झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधन) नियमावली 2019 के नियमों के तहत अधिमान्यता प्राप्त है, को मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना से आच्छादित किया जाएगा।
3. इस योजना के तहत पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत् लाभान्वित कराया जाएगा।
4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि 330 रूपया वार्षिक तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रूपया वार्षिक का भुगतान झारखण्ड पत्रकार कल्याण कोष से किया जाएगा। इस योजना पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2,05,000 (दो लाख पांच हजार) रूपये का व्यय होगा।
5. भविष्य में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम की राशि कम या अधिक होने पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की स्वीकृति से उक्त प्रीमियम की राशि का भुगतान पत्रकार कल्याण कोष के द्वारा किया जाएगा।
6. पत्रकारों के चयन की अन्य शर्तें तथा अर्हता वही होंगी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए निर्धारित हैं।
7. इस योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय आवश्यक आवेदन प्रपत्र, जांच प्रपत्र, स्वघोषणा प्रारूप, ऑनलाईन व्यवस्था आदि प्रक्रियात्मक कार्य करेंगे।
8. यह योजना अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

"मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना" पर दिनांक 11.09.2019 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या –7 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रमाकान्त सिंह)
सरकार के विशेष सचिव।